कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय,जालबांधा,
जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.)

Email : govt.collegejalbandha@gmail.com Phone – 9303671713

क्रमांक– 139 /अतिथि व्याख्याता/2024 जालबांधा, दिनांक 13/09/2024

// अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20/06/2024 के अनुसार **प्राचार्य,नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.)** में **(विषय–हिन्दी)** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एव आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 20.09.2024 को समय 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता–

1 अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयो में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताए तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) सबंधी विनियम, 2018 के प्राधाना के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था अतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक दिव्यागजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य विषय से संबधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एव दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3 आयु सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/ अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5 विषय / पदों का विवरण

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाअधिकारी
1	हिन्दी	0	0	1	0	0

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

शर्ते :–

01. यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायलय में याचिका के परिणाम के अधीन हैं।

02. रिक्त पदों के विरूद्ध प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अतिथि व्यवस्था हेतु जारी कियें जाने वाले विज्ञापन के तहत की जाने वाली अतिथि व्याख्याता एवं अन्य व्यवस्था, उस शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 11 माह के लिए मान्य होगी।

03. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी–एच. डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

04. दिनांक **20/09/2024** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्याम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेंगा। **ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया** जावेंगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्याम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

05. अंतिम तिथि तक महाविद्याल में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेंगी।

06. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **26/09/2024** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट https://rablcollege.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

07. गुणानुकम अनुसार अनंतिम सूची में **दावा आपत्ति** की तिथि **28/09/2024** तक होगी।

08. अंतिम सूची का प्रकाशन महाविद्यालय की वेबसाईट https://rablcollege.ac.in एवं सूचना पटल में दिनांक 30/09/2024 को किया जायेगा।

09. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाये समाप्त नहीं की गई है।

10. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यथर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है. तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

11. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

12. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्रमांक	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400 /–	300 /–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 /– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 /–	350 /–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 /– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400 /– (30,500/– प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि	1600 /– (40,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

Scanned with OKEN Scanner

13. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **प्राचार्य,नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.)पिन कोड–491444** एवं **आवेदित विषय/पद** आवश्यक रुप से लिखे।
14. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
15. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि **लगातार 15 दिवस तक**अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
16. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का सचालन, साहित्यिक एवं सास्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधिया, युवा उत्सव, आतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्याकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
18. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी)
प्रभारी प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा,
जिला – खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner